निगरानी - 1438 - I / 07

श्री एस0 पी0 शर्मा द्वारा आज दि0 30-8-07 को प्रस्तुत 30/8/07
अवर सचिव राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES
COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

कृष्णकुमार तनय रामउजागर निवासी ग्राम - मजिन मानिकराम, तह0- हुमना, जिला - रीवा । म0प्र0। ---- आवेदक

बनाम

1- नर्मदा । दोनों के पिता रामप्रसाद
2- सुरेश ।
3. श्री निवास । मृतक ।
4. मुस0 बिरोआ पत्नी रामप्रसाद
5. जगजाहिर । मृतक ।
6. रामउजागर तनय रामनिरंजन ब्रा0
7. शंकर दयाल तनय रामनिरंजन ब्रा0
8. शासन म0प्र0

सभी निवासी ग्राम - मांजन मनिकराम, तह0 हुमना, जिला-रीवा म0प्र0

--- अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र बाबत अन्तरित किये जाने अपील प्रकरण क्रमांक - 329/2000-01 जो अतिरिक्त आयुक्त के न्यायालय में लम्बित है, पेशी दि0- 3/9/07 है

अन्तर्गत धारा - 29 म0प्र0 कानून माल अधि0 सन् 1959 ई0

मान्यवर,

आधार अन्तरण आवेदन निम्न तरह से प्रस्तुत है :-

1. यह कि उपरोक्त शीर्षक का अपील प्रकरण अतिरिक्त आयुक्त रीवा के न्यायालय में विचाराधीन है। एवं पेशी दिनांक - 3/9/07 नियत है ।

2. यह कि रेस्पा0क्र0- 1, 2 व 3 सगे भाई है रेस्पा0क्र0-1 नौकरी करते है । और उनके अतिरिक्त आयुक्त के कार्यालय में पदस्थ रीडर श्री नामदेव बाबू से अच्छे सम्बन्ध है। रेस्पा0गण रीडर से मिलकर ता0 पेशी घटाते बढाते है और इस सम्बन्ध में अपीलार्थी

क्रमशः/...2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक विविध 1438–एक/07 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–11–16	आवेदक के अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित । अनावेदक क्र0 8 शासकीय पैनल अधिवक्ता श्री बी0एन0 त्यागी उपस्थित। 2/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 29 के अंतर्गत विविध का आवेदन–पत्र किसी समकक्ष राजस्व अधिकारी को प्रकरण स्थानंतरण करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है । 3/ प्रतिउत्तर में अनावेदक शासन के अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि उक्त प्रकरण 2007 से लगभग 9 वर्ष से लंबित है। अतः प्रकरण इस न्यायालय में प्रचलन योग्य न होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया । 4/ उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्क श्रवण किये गये । आवेदक द्वारा धारा 29 के अंतर्गत प्रकरण स्थानंरतण किये जाने का निवेदन किया गया है। जिस पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध यह आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है, सम्भवता हो सकता है कि वह पीठासीन अधिकारी सेवानिवृत्त हो गये हो या फिर उनका स्थांनतरण हो गया हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण इस न्यायालय में प्रचलन योग्य न होने से समाप्त किये जाने योग्य ~~।~~ ~~जाता~~ है एवं प्रकरण अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय की ओर आग्रीम कार्यवाही हेतु भेजा जाता है। (एस0एस0 अली) सदस्य	